रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2002/पौष 11, 1923

No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2002/PAUSA 11, 1923

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2002

सा. का. नि. 1(अ).—एतद्वारा, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अनुभाग 66 द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार की पूर्व सहमति से, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पंजीकरण विनियम, 1992 को निम्नोक्त नियमों द्वारा संशोधित करती है :

1. (1) इन को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पंजीकरण संशोधन विनियम, 2001 कहा जाए।

(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पंजीकरण विनियम, 1992 में नियम 4 के उपरान्त निम्नलिखित विनियम जोड़ दिया जाए।

"4ए अस्थाई पंजीकरण-1(1) बी.वी.एस.सी. एण्ड ए.एच. कार्यक्रम के सभी पाठ्यक्रम पास करने वाले हर विद्यार्थी को, इन्टर्नशिप प्रशिक्षण लेने से पहले राज्य पशु चिकित्सा परिषद या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में अस्थाई रूपेण पंजीकृत होना तथा फार्म जे के में आवेदन करना अनिवार्य है।

(2) फार्म जे के हर आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य है :—

(क) विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी बी वी एस सी एण्ड ए एच पाठयक्रम का पूर्ति प्रमाण पत्र जो कि अस्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करते हुए जांचा जाएगा।

(ख) राज्य पशु चिकित्सा परिषद अथवा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के पक्ष में पंद्रह रुपए (15 रुपए) मूल्य का रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट और दो पासपोर्ट आकार की नई फोटो,

(ग) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/डीन/एसोसिएट डीन/निदेशक (इन्स्ट्रक्सन्स) अथवा अपने प्रदेश के किसी विधायक या सांसद द्वारा सत्यापित दो पासपोर्ट आकार की नई फोटो।

(3) अस्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र फार्म 'के' में छः महीने की वैधता के साथ जारी किए जाएगा। यह अवधि नौ महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

(ब) फार्म 'आई' के बाद निम्नलिखित फार्म जोड़े जाएंगे :—

फार्म 'जे'

[दृष्टव्य विनियम 4ए (1)]

अस्थाई पंजीकरण

सेवा में,

सचिव,

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्,

16/15 डब्ल्यू ई ए, आर्य समाज मार्ग,

करोल बाग, नई दिल्ली-110005

विषय : अस्थाई पंजीकरण हेतु आवेदन

महोदय,

श्री/डॉ. (नाम स्पष्ट अक्षरों में) के सुपुत्र/सुपुत्रि (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अधोहस्ताक्षरित मैंने, फाईनल बी वी एस सी एण्ड ए ए/बी वी एस सी पाठ्यक्रम महीने, 200..... में, दृष्टव्य रोल नं. तथा विश्वविद्यालय रोल नं. से संबंध (महाविद्यालय) से पास कर लिया है।

मैं अनुरोध करता हूं कि में चल रहे ''इन्टर्नशिप-प्रशिक्षण'' की छः माह की अवधि हेतु मुझे अस्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। पंद्रह रुपए मूल्य का एक पोस्टल आर्डर/डी डी क्रमांक दिनांक संलग्न है।

.....(महाविद्यालय का नाम), विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी किए गए बी वी एस सी एण्ड ए एच पाठ्यक्रम समाप्ति के प्रमाण-पत्र की दो सत्यापित प्रतियां भी संलग्न हैं। ये भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानदण्ड) डिग्री पाठ्यक्रम (बी वी एस सी एण्ड ए एच) विनियम, 1993 में उक्त निर्देशों के अनुरूप पाठ्यक्रम की समाप्ति दर्शाती है।

आपके यहां उचित कार्यवाही तथा विचारार्थ, मेरी पासपोर्ट आकार की दो फोटो भी संलग्न हैं।

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

.....

.....

संलग्न —

1. दो पासपोर्ट आकार की फोटो
2. पाठ्यक्रम समापन प्रमाण-पत्र की दो सत्यापित प्रतियां
3. पंजीकरण शुल्क हेतु 15 रुपए का आई पी ओ/डी डी

फोटो यहां
लगाएं

फार्म 'के'

[द्र दव्य विनियम 4ए (3)]

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

16/15 डब्ल्यू ई ए, आर्य समाज मार्ग,

करोल बाग, नई दिल्ली-110005

अस्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या—वी सी आई/अस्थाई

नाम (पुरुष या महिला इंगित करें)	पिता का नाम	पता	मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता तथा परीक्षा पास करने की तिथि	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम	प्रमाण-पत्र की वैधता

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

सचिव

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

नोट : 1. अनुमोदित संस्थान में केवल प्रशिक्षण के लिए ही, धारक अभ्यास के लिए अधिकृत होगा।

2. फाइनल पंजीकरण के समय मूल प्रमाण-पत्र वापस जमा करवाना अपेक्षित है।

[फाइल सं. 26-6/98-वीसीआई]

सी. के. वासदेव, कार्यकारी सचिव

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2002

G.S.R. 1(E).—In exercise of the powers conferred by Section 66 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Veterinary Council of India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Veterinary Council of India (Registration) Regulations, 1992, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Veterinary Council of India (Registration) Amendment Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Veterinary Council of India (Registration) Regulations, 1992, after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely:—

"4.A. Provisional Registration.—(1) Every student who has passed all the courses of B.V.Sc. and A.H. programme shall, before undergoing internship training, be required to get himself/herself provisionally registered with the State Veterinary Council or the Veterinary Council of India and shall make an application in Form J.

(2) Every application in Form 'J' shall be accompanied with—

(a) two attested copies of the B.V. Sc. & A. H. Course completion certificate issued by the University/Institution which shall be verified at the time of issue of the provisional registration certificate;

(b) a fee of Rs.. 15 (fifteen rupees only) by a crossed postal order or bank draft in the name of the State Veterinary Council or the Veterinary Council of India, New Delhi; and

(c) two recent passport size photographs of the applicant duly attested by a Gazetted Officer or the Principal/Dean/Associate Dean/Director of Instructions of a recognised Veterinary College or a Member of the Legislative Assembly of the State within whose jurisdiction the applicant resides or a Member of Parliament.

(3) The certificate of provisional registration shall be given in From 'K' valid for a period of six months, which may be extended up to nine months.";

(b) after Form I, the following Forms shall be added, namely:—

"FORM—'J'

[See regulation 4A(1)]

(PROVISIONAL REGISTRATION)

To,

The Secretary
Veterinary Council of India,
16/15. W.E.A. Arya Samaj Road,
Karol Bagh, New Delhi-110005

Subject.—Application for Provisional Registration.

Sir,

I, the undersigned———————————————————
(name in capital letter)

daughter/son of Shri/Dr. ———————————————————
(name in capital letter)

have passed final B.V.Sc. & A.H./B.V.Sc. Course from———————————————————
(name of the college)

———————————————————
(affiliated to)

in the month of———————— 200../vide Roll No.———————————
——and University Enrolment No.————————.

I, therefore, request the issue of provisional registration certificate for undergoing "Internship Training" of six months duartion at ————————. An I.P.O./D.D. for Rs. 15 bearing No. ———— dated ————is enclosed.

Two attested copies of my B.V.Sc. & A. H. Course completion certificate issued by the University/Institution————
———————————————————
(name of the college)

indicating completion of the courses as specified in the Veterinary Council of India (Minimum Standards of Veterinary Education)—Degree Course (B.V.Sc. & A.H.) Regulations, 1993.

Two pass port size photograph are also enclosed for consideration and further action at your end.

Yours faithfully,

Signature————————

Name————————

Address————————
————————
————————
————————
————————

Enclosures:—

(1) Two Passport size Photographs
(2) Two attested copies of Course completion certificate
(3) Rs. 15 registration Fee IPO/DD.

IndiaCode

FORM 'K'

[See regulation 4A(3)]

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

16/15, WEA ARYA SAMAJ ROAD,

KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

Provisional Registration Certificate

Affix

* Photograph

Certificate No. VCI/Provisional

Name (indicate Male or Female)	Father's Name	Address	Recognised Veterinary Qualification and date of passing the Examination	Name of College/ University	Validity of the certificate

Place : New Delhi

Dated, the ————

Secretary
Veterinary Council of India

Note : 1. The holder shall be entitled to practice medicine in the approved institution for the purpose of such training and for no other purpose.

2. The Certificate is to be surrendered in original at the time of Final Registration."

[No. 26-6/98-VCI]

C. K. VASDEV, Acting Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode